

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2015

S.O.------(E). - In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the 'Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission', a Commission constituted under the Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999 (UP Act No.24 of 1999), in respect of the following specified income arising to the said Commission, namely :-


- (a) amount received in the form of government grants;
- (b) amount received as license fees and fines;
- (c) interest earned on government grants, license fees and fines.

2. The notification shall be subject to the conditions that the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission –

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the said Act; and
- (c) its activities and the nature of the specified income of the said Commission remains unchanged throughout the financial years,

3. This notification shall be applicable for financial years 2011-12 to 2015-16.

[Notification No 21 /2015, F.No.196/37/2012-ITA.1]



(Deepshikha Sharma)
Director to the Government of India

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

Ms Lekha
12/3/15
To

(भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 2015

अधिसूचना

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, 'उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग', (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन), उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (1999 का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 24) के अंतर्गत गठित एक आयोग को उक्त आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-


- (क) सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि;
- (ख) लाइसेंस शुल्क और जुर्मानों के रूप में प्राप्त राशि;
- (ग) सरकारी अनुदान, लाइसेंस शुल्क और जुर्मानों की राशि पर ब्याज

2. अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होंगी; कि उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) -

- (क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;
- (ख) आयोग अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करती है; और
- (ग) उक्त आयोग के कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप पूर्ण वित्तीय वर्ष (वर्षों) में अपरिवर्तनीय रहता है,

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना संख्या...../2015 फा.सं. 196/37/2012-अयकर (नि-1)]


(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।